विहित प्रपत्र

अद्यतन स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदक का नामः–...
2. आवेदक के पिता/पति का नामः–..
3. लिंग :–.................................. जन्म तिथि :–..
4. शैक्षणिक योग्यताः–...
5. सेवानिवृत्ति की तिथि एवं कार्यालय का नामः–...

   ....
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पदनामः–...
7. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन (Pay in the Pay band+GP/Level):–..........................

   ....
8. सेवा का नामः–..
9. पूर्व के सेवाकाल में दिया गया दण्ड/सजा की विवरणी (स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ):– ....

   ....
10. मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति :–...
11. राजस्व कार्यों का अनुभव (यदि कोई हो तो):–...

    ....
12. प्रमंडल का नाम जहाँ सेवा देने के लिए इच्छुक है:–..

    प्रमंडल अंतर्गत जिला का नाम जहाँ सेवा देने के लिए इच्छुक हैं :–..................................
13. स्थायी पताः–..

    ....
14. पत्राचार का पताः–..

    ....
15. ई–मेलः–..
16. मोबाईल नं0ः–...16. दूरभाषः–...

नोट–सभी यथा वांछित सूचनाओं की एक–एक सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दी गई सूचनाएँ एवं संलग्न कागजात मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

दिनांकः–...

स्थान :–...   आवेदक का हस्ताक्षर

संविदा के आधार पर जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान एवं सेवा शर्त्त निर्धारण के संबंध में :–

---

1. आवेदक का उम्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. यह नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष के लिए किया जायेगा एवं Performance के आधार पर उनकी कार्यावधि का विस्तार योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1243/वि., दिनांक–28.04.2016 के अनुरूप किया जायेगा।
3. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिला निलाम पत्र पदाधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य होंगे।
4. आवेदक को सेवाकाल में किसी प्रकार का दण्ड अधिरोपित नहीं होना चाहिए।
5. आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही संचालित नहीं होना चाहिए।
6. आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए।
7. संविदा के आधार पर नियुक्त पदाधिकारी की स्थिति में नियत मानदेय एवं अन्य लाभों का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प सं0–1243, दिनांक–28.04.2016 की कंडिका–7 के अनुसार देय होगी।
8. सेवानिवृत्ति पर नियुक्त पदाधिकारियों का जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रमंडलीय आयुक्त की स्वीकृति से उपायुक्त द्वारा किया जायेगा।
9. चयन के निमित आवेदक को विहित प्रपत्र में यथावांछित सूचना अंकित करते हुए आवेदन पत्र संबंधित उपायुक्त के समक्ष समर्पित करना होगा।
10. आवेदक इस राज्य के किसी एक प्रमंडल का चयन करेंगे। उक्त प्रमंडल के अंतर्गत आनेवाले जिलों के लिए वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिस जिला में सेवा देने के लिए इच्छुक हों उसी जिला के उपायुक्त के समक्ष आवेदन देंगे एवं उनका चयन भी उसी जिला के अंतर्गत विचारणीय होगा।
11. राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, देवघर, गोड्डा, प0 सिंहभूम, हजारीबाग एवं गढ़वा जिला में दो–दो एवं शेष पंद्रह जिलों में एक–एक नीलाम पत्र पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

<u>नीलाम पत्र पदाधिकारियों के कार्यों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके पूर्ण होने के उपरांत अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।</u>

1. नियुक्ति के प्रथम माह में प्रत्येक कार्य दिवस को कम–से–कम 30 वादों में सुनवाई की तिथि निर्धारित कर उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत करेंगे।
2. नियुक्ति के द्वितीय एवं तृतीय माह मे प्रत्येक कार्य दिवस को कम–से–कम 30 वादों में सुनवाई की तिथि निर्धारित कर उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत करेंगे तथा जिन वादों में पूर्व में तिथि निर्धारित की गई है, की सुनवाई भी करेंगे।
3. एक वाद में अधिकतम तीन तिथि ही निर्धारित करेंगे एवं चौथी तिथि को अंतिम निर्णय पारित करेंगे। सुनवाई प्रारंभ होने के एक माह के भीतर अंतिम निर्णय पारित करेंगे।
4. प्राथमिकता के तौर पर वैसे मामलों की सुनवाई पहले करें जिसमें वसूलनीय राशि अधिकतम हो।
5. नियुक्ति के दो माह के पश्चात प्रत्येक माह कम–से–कम 500 वादों का अंतिम रूप से निष्पादन करेंगे।
6. छः माह में 3000 एवं एक वर्ष में 6000 वादों का अंतिम रूप से निष्पादन करेंगे।

संख्या : 6/एस–5 (भत्ता)–03/2011........................ 1243/वि०

झारखण्ड सरकार

योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

राँची/दिनांक : 28/4/16

संकल्प

विषय : संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक के निर्धारण के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2452/वि०, दिनांक 26.11.2011 द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति में निम्न रूप से मासिक संविदा राशि एवं अन्य सुविधाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया था :–

(क) सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य नियत मासिक मानदेय की राशि अनुमान्य होगा।

(ख) उक्त नियत मानदेय राशि पर सरकार द्वारा समय–समय पर लागू महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी, जिन्हें सरकार द्वारा संविदा पर नियुक्त किया जाता है और वे सरकार द्वारा आवंटित आवास में नहीं रहते हैं, तो उन्हें वर्गीकृत शहर के अनुसार नियत मासिक मानदेय पर आवास किराया भत्ता अनुमान्य होगा।

2. वित्त विभागीय पत्र संख्या 3556, दिनांक 05.09.1991 में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगी को निम्नांकित परिस्थितियों में नहीं किया जायेगा :–

(i) यदि वह राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय में नियुक्त/पुनर्नियुक्त हो।

(ii) यदि वह राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कम्पनी/निगम/उपक्रम स्वशासी निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक सहित) में नियुक्त/पुनर्नियुक्त हो।

3. महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षक दल द्वारा कोषागार कार्यालय के संदर्भ में समर्पित अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 01/2013–14 के पारा संख्या 1(iv) में निम्न आपत्ति दर्ज की गयी है :–

"In course of scrutiny of Gazetted Salary Register in Project Bhawan Treasury, it is found that full Dearness Allowance on Basic Pay has been allowed in some cases without obtaining certificate of non drawls of Dearness Relief on his pension as mentined under rule".

वास्तविक स्थिति यह थी कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी संविदा पर नियुक्त होने पर पेंशन एवं मानदेय दोनों पर महँगाई भत्ता प्राप्त कर रहे थे।

4. महालेखाकार कार्यालय की आपत्ति एवं वित्त विभाग के पत्रांक 3556 दिनांक 05.09.1991 को दृष्टिपथ में रखते हुए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3828/वि० दिनांक 13.11.2014 द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 2452/वि० दिनांक 24.11.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि– **"पेंशनरों के पुनर्नियोजन के मामले में, चाहे वह संविदा पर नियत वेतन/मानेदय पर हो या नियमित वेतनमान पर हो, पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। विभागों/निगमों/प्राधिकारों/**

सोसाइटियाँ द्वारा पेंशनरों के पुनर्नियोजन की स्थिति में नियत मानेदय/वेतन की राशि इस प्रकार निर्धा की जायेगी ताकि पुनर्नियोजन की अवधि में नियत वेतन और पेंशन की कुल रकम उस रकम से अधिक न हो, जो उसे सेवानिवृत्ति के ठीक पहले वेतन के रूप में कुल परिलब्धि (Total Emoluments) प्राप्त हो"।

5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3828/वि० दिनांक 13.11.2014 के अनुसार पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन पर प्रत्येक वर्ष माह जनवरी एवं जुलाई में महँगाई राहत में वृद्धि होने के फलस्वरूप पेंशनरों के पुनर्नियोजन की स्थिति में उन्हें देय मानदेय की राशि में भी तदनुसार क्रमशः ह्रास होना है। फलतः उक्त संकल्प के प्रावधानों में संशोधन हेतु कतिपय अभ्यावेदन आने प्रारम्भ हो गये तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3828/वि० दिनांक 13.11.2014 में मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने के कारण मार्गदर्शन हेतु वित्त विभाग में अनेक प्रस्ताव प्राप्त होने लगे।

6. उपर वर्णित स्थिति में पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों को देय मानदेय एवं अन्य लाभों के संबंध में नये सिरे से निर्णय लेने का मामला सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

7. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार के द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की स्थिति में नियत मानदेय एवं अन्य लाभों का निर्धारण निम्नरूपेण करने का निर्णय लिया गया है :-

Sr.No.	Pay Band & Pay Scale at the time of retirement	GP	Fixed Honorarium per Month
1.	PB-I, 5200-20200	1800 1900 2000 2400 2800	Rs.20000
2.	PB-II 9300-34800	4200 4600 4800 5400	Rs.25000
3.	PB-III 15600-39100	5400 6600 7600	Rs.35000
4.	PB-IV 37400-67000	8700 8900 10000	Rs.45000
5.	HAG 67000-79000		Rs.55000
6.	Apex Scale = 80000(Fixed)		Rs.65000

संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं होने पर उक्त राशि के अलावे सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन के आलोक में पुनर्नियुक्त स्थान पर अनुमान्य आवास किराया भत्ता का 75 प्रतिशत एवं जिन्हें सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया हो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय धारित ग्रेड वेतन के अनुसार परिवहन भत्ता (जहाँ अनुमान्य हो, सेवानिवृति की तिथि को देय महगाँई भता सहित) देय होंगे। महँगाई भत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप परिवहन भत्ता में वृद्धि अनुमान्य नहीं होगा। उक्त भत्तों के अलावा अन्य कोई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

8. स्वतंत्र संवैधानिक निकायों, न्यायाधिकरणों तथा Act के तहत् गठित निकाय/ आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इससे आच्छादित नहीं होंगे।

9. यह प्रावधान सेवानिवृत्त झारखण्ड राज्य के बोर्ड/निगम/निकाय कर्मियों के मामले पर भी लागू होगा, जिनकी पदसंरचना, वेतनमान एवं सेवाशर्त्त राज्य सरकार के कर्मी की तरह है।

10. पूर्व में निर्गत वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 3556 दिनांक 05.09.1991, पत्रांक 2452/वि०, दिनांक 26.11.2011 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3828/वि० दिनांक 13.11.2014 एवं पूर्व में निर्गत परिपत्र/संकल्प इस हद तक संशोधित समझा जाय।

11. सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी, जिसका अवधि विस्तार अधिकतम दो बार एक-एक वर्ष के लिए की जा सकेगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा 65 वर्ष अथवा तीन वर्ष तक (1+1+1), जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगी। अपवादित परिस्थिति में 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले सेवानिवृत्त कर्मी अथवा तीन वर्ष से अधिक समय के लिए संविदा पर कार्य कर चुके सेवानिवृत्त किसी कर्मी को सेवा में रखना अपरिहार्य हो, तो वैसी स्थिति में संबंधित कर्मी के मामले में वित्त विभाग के माध्यम से मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

12. संविदा कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक छुट्टी अनुमान्य होगी।

13. संविदा कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त ग्रेड वेतन के अनुसार यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

14. यह व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से लागू होगी।

15. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1209/वि० दिनांक 25.04.2016 के क्रम में दिनांक 26.04.2016 की बैठक के मद सं० 10 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

28.4.2016

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक: 6/एस–5 (भता)–03/2011....................../ 1243/वि० **राँची, दिनांक** 28/4/16

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.4.2016

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक: 6/एस–5 (भता)–03/2011....................../ 1243/वि० **राँची, दिनांक** 28/4/16

प्रतिलिपि : माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप– कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/ पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर, को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.4.2016

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक: 6/एस–5 (भता)–03/2011....................../ 1243/वि० **राँची, दिनांक** 28/4/16

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

28.4.2016

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।